भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 494
दिनांक 26.06.2019/5 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

†494. श्री रामनाथ ठाकुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को आधुनिक गेजेट और उपकरणों से लैस करने के साथ राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में बिहार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और
(ग) क्या सरकार बेहतर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते राज्य पुलिस बलों को सुसज्जित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार पुलिस अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। इस स्कीम के तहत, असाल्ट राइफलों जैसे उन्नत हथियारों, मानव रहित एरियल व्हीकलों (यूएवी), नाइट विजन डिवाइसों (एनवीडी), सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों एवं शरीर में लगाये जाने वाली कैमरा प्रणालियों सहित सभी प्रकार के निगरानी उपस्करों, आधुनिक संचार उपस्करों तथा आसूचना शाखा और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु अत्याधुनिक उपस्कर की खरीद के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों को आपरेशन कार्य हेतु वाहनों की खरीद तथा पुलिस भवनों के निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 में बिहार को 27.62 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

******